रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/93 REGD. NO. D.L.-33004/93

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 36] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 25, 1993/आश्विन 3, 1915
No. 36] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 25, 1993/ASVINA 3, 1915

डैण्टल कौंसिल ऑफ इंडिया

[अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 1993

सं.डी ई 22—93.—दन्त चिकित्सक अधिनियम, 1948 (1948 का 16) की धारा 20 के साथ पठित धारा 10-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद् केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से नए दन्त चिकित्सा कालेज खोलने, दन्त चिकित्सा कालेजों में अध्ययन के उच्चतर पाठ्यक्रमों की व्यवस्था करने और प्रवेश क्षमता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इन विनियमों को नए दन्त चिकित्सा कालेजों की स्थापना, अध्ययन के उच्चतर पाठ्यक्रमों की व्यवस्था तथा दन्त चिकित्सा कालेजों की प्रवेश क्षमता में वृद्धि विनियम, 1993 कहा जाएगा ।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे ।

2. दन्त चिकित्सा कालेजों से संबंधित योजना

दन्त चिकित्सक अधिनियम, 1948 की धारा 10-क की उप धारा (2) के खण्ड (क) और (ख) में उल्लिखित योजना इसके साथ संलग्न है ।

स्कीम

नया दन्त कालेज खोलने के लिए केन्द्रीय सरकार की अनुमति लेने संबंधी आवेदन-पत्र

आवेदक के लिए हिदायतें

पात्रता संबंधी मानदण्ड

नये दन्त कालेज खोलने के लिए निम्नलिखित संगठन आवेदन करने के पात्र होंगे :—

1. विश्वविद्यालय एवं राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र ।
2. केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा समर्थित स्वायत्त निकाय ।
3. सोसाइटीज पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत सोसाइटियां ।

4. भारतीय न्यास अधिनियम, 1882, वाक्फ अधिनियम आदि के अन्तर्गत पंजीकृत धार्मिक अथवा-धर्मार्थ, सार्वजनिक न्यास ;

आवेदकों से अनुरोध है कि आवेदन-पत्र भेजते समय वे यह सुनिश्चित कर लें कि आवेदन पत्र में निम्नलिखित के बारे में पूरी सूचना दी हो।

अर्हता संबंधी मानदण्ड

पात्र संगठनों को दन्त चिकित्सक अधिनियम, 1948 तथा उसके अन्तर्गत बनाए गए विनियमों का पालन करना होगा और निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने पर ही वे नया दन्त कालेज खोलने की अनुमति लेने के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे :—

1. यह कि आवेदक का मुख्य उद्देश्य दन्त शिक्षा प्रदान करना है;

2. यह कि प्रस्तावित दन्त कालेज खोलने के लिए आवेदक के स्वामित्व तथा कब्जे में कम से कम 5 एकड़ भूमि हो जिसका निर्मित क्षेत्र नीचे दर्शाए क्षेत्र के अनुसार होना चाहिए—

दाखिला	प्रथम वर्ष	चतुर्थ वर्ष
40	16,000 वर्ग फुट	40,000 वर्ग फुट
60	25,000 वर्ग फुट	60,000 वर्ग फुट
100	40,000 वर्ग फुट	100,000 वर्ग फुट

ध्यान देने योग्य बातें :

1. निर्मित क्षेत्र का विस्तार चरणबद्ध ढंग से प्रथम तथा चतुर्थ वर्ष के बीच किया जाए।

2. दन्त कालेज में उपर्युक्त निर्मित क्षेत्र के अतिरिक्त छात्रावास तथा कर्मचारियों के लिये पर्याप्त आवास भी उपलब्ध होना चाहिए।

3. यह कि आवेदक ने निर्धारित स्थान पर प्रस्तावित कालेज खोलने की वांछनीयता तथा व्यवहार्यता के बारे में संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से अनुमति/अनिवार्यता प्रमाण पत्र ले लिया है।

4. यह कि आवेदक ने प्रस्तावित दन्त कालेज के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विश्वविद्यालय सम्बन्धन का अनुमति पत्र ले लिया है और दन्त चिकित्सा परिषद् द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्या संबंधी अपेक्षाओं तथा विनियमों के अनुसार पर्याप्त क्लीनिकल सामग्री उपलब्ध है।

5. यह कि आवेदक ने भारतीय दन्त परिषद् द्वारा यथा निर्धारित प्रवेश क्षमता से मेल खाती हुई आधारभूत ढांचे संबंधी अपेक्षित सुविधाएं, जिनमें छात्र तथा छात्राओं के लिए पर्याप्त छात्रावास सुविधाएं भी शामिल हैं, की व्यवस्था करते हुए प्रस्तावित दन्त कालेज खोलने के लिए कोई व्यवहार्य तथा समयबद्ध कार्यक्रम बनाया है जिससे कि अनुमति मिलने की तारीख से चार वर्ष की अवधि के अन्दर-अन्दर दन्त कालेज का विकास पूरा हो सके।

6. यह कि दन्त कालेज छात्रों का दाखिला तभी करेगा जब परिषद् बी.डी.एस. पाठ्यक्रम शुरु करने के लिए आधारभूत ढांचे तथा अन्य सुविधाओं की व्यवस्था से संतुष्ट हो तथा कालेज केन्द्रीय सरकार को लिखित में अनुमति मिलने के बाद ही दाखिला शुरू करेगा।

7. यह कि आवेदक अनुमति मिलने के दो वर्षों के अन्दर-अन्दर दाखिला शुरु करने तथा दाखिला शुरु करने की तारीख से तीन वर्ष के अन्दर-अन्दर दन्त कालेज का पूर्ण विकास करने में समर्थ होना चाहिए।

8. यह कि दन्त कालेज एक स्वतंत्र संस्था होनी चाहिए जिसमें प्रिंसिपल/डीन सहित सभी कर्मचारी हों।

9. यह कि आवेदक प्रस्तावित कालेज किसी मेडिकल कालेज के आसपास खोलेगा और उस मेडिकल कालेज से इस आशय का आश्वासन लेगा कि वह कालेज चिकित्सा, शल्य चिकित्सा तथा सम्बद्ध चिकित्सा विज्ञान के विषयों में प्रस्तावित दन्त कालेज के छात्रों को प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध करेगा। जहां प्रस्तावित दन्त कालेज के आस-पास कोई मेडिकल कालेज उपलब्ध न हो, उस स्थिति में प्रस्तावित दन्त कालेज अपने आपको किसी ऐसे सामान्य अस्पताल से सम्बद्ध करेगा जिसमें कम से कम 100 पलंग हों तथा जो प्रस्तावित दन्त कालेज की 10 किलोमीटर की परिधि के अन्दर-अन्दर स्थित हो। यह आवेदक का कर्तव्य होगा कि वह इस आशय का प्रमाण दे कि शिक्षण, प्री-क्लीनिकल, पैरा-क्लीनिकल तथा सम्बद्ध चिकित्सा विज्ञान की आधारभूत सुविधाएं प्रस्तावित कालेज की अपनी हैं।

10. यह कि आवेदक के पास भारतीय दन्त परिषद् द्वारा यथा निर्धारित अतिरिक्त उपकरणों और आधारभूत ढांचे संबंधी सुविधाएं उपलब्ध करने का कोई व्यवहार्य तथा समयबद्ध विस्तार कार्यक्रम और दन्त कुर्सियों/यूनिटों की निम्नलिखित विस्तृत चार्ट के अनुसार व्यवस्था है :

	40 छात्र	60 छात्र	100 छात्र
प्रथम वर्ष	10	10	10
द्वितीय वर्ष	20	20	25
तृतीय वर्ष	40	60	100
चतुर्थ वर्ष	80	120	200
पंचम वर्ष (इंटर्न शिप)	100	150	250

11. यह कि आवेदक ने परिशिष्ट: 1, 2 और 3 (कर्मचारियों की संख्या) के अनुसार शिक्षण कर्मचारियों का एक चरणबद्ध ढंग से विस्तार करने की व्यवस्था की है।

12. यह कि आवेदक दन्त कालेज खोलने तथा संबंधित आधारभूत सुविधाओं के लिए भारतीय दन्त परिषद के नाम निम्नलिखित के अनुसार परफोरमेन्स गारन्टी उपलब्ध करे :

40 छात्र	60 छात्र	100 छात्र
75 लाख रु.	120 लाख रुपये	150 लाख रुपये

अपवाद : यदि आवेदक राज्य सरकारें हैं तो उपर्युक्त शर्तें लागू नहीं होंगी लेकिन राज्य सरकारों को इस आशय का वचन देना होगा कि वे अपने प्लान बजटों में तब तक नियमित रूप से धनराशि उपलब्ध करती रहेंगी जब तक उनके द्वारा सूचित किए गए समकक्ष कार्यक्रम के अनुसार पूरी सुविधाएं उपलब्ध नहीं कर दी जाती ।

फार्म तथा प्रक्रियाएं :

नया दन्त कालेज खोलने के लिए पात्रता तथा अर्हता संबंधी उपर्युक्त मानदण्डों को पूरा करते हुए आवेदक निम्नलिखित दो भागों में आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगा :—

भाग-I

आवेदन पत्र (उपाबंध 1) के भाग-1 में आवेदक तथा प्रस्तावित स्थान पर एक दन्त कालेज खोलने की वांछनीयता और व्यवहार्यता के बारे में निम्नलिखित विवरण होगा :

1. पात्रता संबंधी मानदण्ड की शर्तों के अनुसार आवेदक संगठन की संरचना के बारे में जानकारी ।

2. आवेदक की आधारभूत ढांचे संबंधी बुनियादी सुविधाओं तथा प्रबन्धकीय और वित्तीय क्षमताओं के बारे में जानकारी, और

3. अर्हता संबंधी मानदण्डों में यथा निर्धारित आवश्यक प्रमाणपत्रों और अनुमति पत्र की उपलब्धता के बारे में जानकारी ।

भाग-II

आवेदन पत्र के भाग-II में नया दन्त कालेज खोलने की योजना का विस्तृत ब्यौरा होगा तथा इसे प्रस्तावित कालेज की विस्तृत प्रौद्योगिक आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा जिसमें निम्नलिखित विवरण होगा :—

1 दन्त कालेज का नाम तथा पता

2. बाजार सर्वेक्षण तथा पर्यावरणिक विश्लेषण : जिसमें राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दन्त शिक्षा नीति, प्रशिक्षित दन्त कार्मिकों की आवश्यकता तथा उपलब्धता, अन्तर का विश्लेषण प्रस्तावित स्थान पर एक नया दन्त कालेज खोलने की वांछनीयता और व्यवहार्यता का उल्लेख हो ।

3. प्रस्तावित स्थल की विशेषताएं तथा बाह्य सम्पर्कों की उपलब्धता : जिसमें स्थलाकृति, भूखण्ड का आकार, अनुज्ञेय फर्शी क्षेत्र, कितनी जमीन कवर की जाएगी, इमारत की ऊंचाई, सड़क संपर्क, सार्वजनिक परिवहन की उपलब्धता बिजली आपूर्ति, जल आपूर्ति, मल जल निकासी, टेलीफोन लाइन आदि की उपलब्धता का उल्लेख हो,

4. शैक्षिक कार्यक्रम : जिसमें छात्रों की वार्षिक प्रवेश क्षमता (एक शैक्षिक वर्ष में छात्रों की अधिकतम संख्या 100 से अधिक नहीं होनी चाहिए), छात्रों के प्रवेश की प्रक्रिया सीटों का आरक्षण अधिमान्य आबंटन (यदि कोई हो), अध्ययन की विभागवार तथा वर्षवार पाठ्यचर्या का उल्लेख हो,

5. उस मेडिकल कालेज, अस्पताल अथवा 100 पलंगों वाले सामान्य अस्पताल का ब्यौरा जिसके साथ प्रस्तावित दन्त कालेज सम्बद्ध किया जाना है तथा उसके इस आशय का लिया गया वचन पत्र संलग्न किया जाए,

6. कार्यात्मक कार्यक्रम : जिसमें विभागवार और सेवा-वार कार्यात्मक अपेक्षाओं तथा क्षेत्र निर्धारण और कमरा-वार बैठने की क्षमता का उल्लेख हो :

7. उपकरण कार्यक्रम : जिसमें माला तथा विनिर्देशनों की दृष्टि से पूरे दन्त, वैज्ञानिक तथा सम्बद्ध उपकरणों की कमरा-वार सूची दी हो ।

8. कार्मिक शक्ति कार्यक्रम : जिसमें विभाग-वार शिक्षण (पूर्ण कालिक), तकनीकी, प्रशासनिक और सहायक कर्मचारियों की आवश्यकता, इन कर्मचारियों की श्रेणी-वार भर्ती प्रक्रिया तथा वेतन ढांचे (जो न्यूनतम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमानों के अनुरूप हो) आदि का उल्लेख हो,

9. नान-क्लीनिकल, चिकित्सा विषयों को पढ़ने के लिए की गई व्यवस्था का ब्यौरा जिसमें यह बताया जाए कि प्रस्तावित दंत कालेज में यह व्यवस्था स्वतंत्र रूप से उपलब्ध है अथवा इनके लिए किसी मेडिकल कालेज की सुविधाओं का उपयोग किया जाएगा,

10. भवन-निर्माण कार्यक्रम : जिसमें दन्त कालेज के भवन-वार निर्मित क्षेत्र, संकाय तथा कर्मचारियों के आवास, कर्मचारियों तथा छात्रों के लिए छात्रावास, प्रशासनिक कार्यालय, पुस्तकालय भवन, पशु गृह, तथा सांस्कृतिक और मनोरंजन केन्द्र, खेल परिसर आदि जैसी अन्य आधारभूत सुविधाओं का उल्लेख हो ।

11. नियोजन तथा अभिन्यास (ले-आउट) : जिसमें दन्त कालेज परिसर के मास्टर प्लान, ले आउट प्लान, खण्ड, उठाव तथा दन्त कालेज और सहायक भवन आदि के तल-वार क्षेत्रफल की गणना की गई हो ;

12. चरण-वार योजना और समय-सारणी : जिसमें महीना-वार किए जाने वाले क्रियाकलापों की समय-सारणी दी गई हो जिसमें भवन की रूपरेखा बनाने तथा उसके पूरा होने, स्थानीय निकाय से अनुमोदन लेने, सिविल निर्माण,

इन्जीनियरिंग सेवाओं और उपकरणों, कर्मचारियों की भर्ती तथा छात्रों की प्रस्तावित प्रवेश क्षमता से मेल खाते हुए इन कार्यकलापों को आरम्भ करने का उल्लेख हो ;

13. परियोजना लागत: जिसमें भूमि, भवन, संयंत्र और मशीनरी, वैज्ञानिक और सम्बद्ध वैज्ञानिक उपकरणों, फर्नीचर और जुड़नार की पूंजीगत लागत तथा प्रारम्भिक और संचालन-पूर्ण खर्चों का उल्लेख हो,

14. परियोजना लागत की वित्त व्यवस्था के साधन : जिसमें आवेदक के योगदान, अनुदान तथा दान, डिबेंचर और मियादी ऋण तथा अन्य स्त्रोत, यदि कोई हो, का उल्लेख हो,

15. आय संबंधी पूर्वानुमान : जिसमें फीस ढांचे तथा विभिन्न स्त्रोतों से अनुमानित वार्षिक आय का उल्लेख हो,

16. व्यय संबंधी पूर्वानुमान : जिसमें संचालन खर्च, वित्तीय खर्चे तथा मूल्यह्रास का उल्लेख हो, और

17. संचालन परिणाम : जिसमें आय विवरण, कैश-फ्लो विवरण तथा प्रेक्षेपित डलन-पत्र का उल्लेख हो।

आवेदन-पत्र/स्कीम प्रस्तुत करना तथा आवेदन शुल्क : आवेदन पत्र सचिव (स्वास्थ्य), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली को केवल पंजीकृत डाक से ही भेजा जाएगा । आवेदन-पत्र के साथ आवेदन शुल्क, जो वापस नहीं होगा, के रूप में 2.00 लाख रुपये की राशि का डीमांड ड्राफ्ट/पे आर्डर भेजा जाए जो भारतीय दन्त परिषद के नाम पर तथा दिल्ली में देय हो। यह आवेदन शुल्क, आवेदन पत्र के पंजीकरण की फीस, तकनीकी जांच फीस तथा तीन निरीक्षणों की फीस और दूसरे आकस्मिक व्यय के लिए होगा । तीन निरीक्षणों के बाद के निरीक्षणों के लिए आवेदक को परिषद् द्वारा समय-समय पर निर्धारित निरीक्षण शुल्क परिषद् को देना होगा । अधूरे आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे और स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा ऐसे आवेदन पत्र अनुलग्नकों तथा आवेदन शुल्क सहित आवेदक को वापस भेज दिए जाएंगे। ठीक पाये गये आवेदन पत्र स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में पंजीकृत किये जाएंगे तथा मूल्यांकन और सिफारिशों हेतु उन्हें 30 दिन के अन्दर-अन्दर भारतीय दन्त परिषद को भेजा जाएगा । आवेदन पत्र की स्वीकार्यता का तात्पर्य आवेदन पत्र को केवल मूल्यांकन के लिए स्वीकार करना होगा । तथापि, इस स्वीकार्यता का अर्थ किसी भी दशा में यह नहीं होगा कि आवेदन-पत्र अनुमति देने के लिए स्वीकार कर लिया गया है । नया दन्त कालेज खोलने के आवेदन पत्र की जांच करने के लिए दन्त चिकित्सक (संशोधन) अधिनियम, 1993 में निर्धारित की गई एक वर्ष की अवधि का ये समय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में आवेदन पत्र के पंजीकरण की तारीख से आरम्भ होगा ।

भारतीय दन्त परिषद द्वारा आवेदन-पत्र का मूल्यांकन भारतीय दन्त परिषद प्रस्तावित स्थान पर नया दन्त कालेज खोलने की वांछनीयता तथ व्यवहार्यता और इस स्कीम के लिए आवश्यक संसाधन और आधारभूत ढांचा उपलब्ध करने में आवेदक की सक्षमता की दृष्टि से आवेदन-पत्र का मूल्यांकन करेगी ।

मूल्यांकन करते समय परिषद आवेदक से यथा आवश्यक अतिरिक्त सूचना स्पष्टीकरण अथवा और कागजात मांग सकती है अथवा आवेदन-पत्र में दी गई सूचना का सत्यापन करने के लिये मौके पर जाकर स्वयं निरीक्षण भी कर सकती है ।

अनुमति देना—केन्द्रीय सरकार, भारतीय दन्त परिषद की सिफारिशों पर मूल प्रस्ताव में यथा आवश्यक शर्तें अथवा संशोधन सुझाते हुए नया दन्त कालेज खोलने का आशय पत्र जारी कर सकती है । आवेदक द्वारा उपर्युक्त शर्तें तथा संशोधन स्वीकार कर लेने और अपेक्षित राशि की परफोरमेन्स बैंक गारन्टी प्रस्तुत करने के बाद ही औपचारिक अनुमति प्रदान की जायेगी ।

औपचारिक अनुमति में नया दन्त कालेज खोलने का एक समय-बद्ध कार्यक्रम शामिल होगा । इस अनुमति पत्र में भवनों, आधारभूत ढांचे संबंधी सुविधाओं, दन्त चिकित्सा तथा सम्बंधी उपकरणों, संकाय और कर्मचारी आदि के संबंध में उन सभी आरम्भिक अपेक्षाओं को सुस्पष्ट किया जायेगा जो छात्रों का पहला बैच दाखिल करने से यह पूरी की जानी है । इस अनुमति में अगले वर्षों में दाखिल किये जाने वाले छात्रों की संख्या में मेल खाते हुए उन वार्षिक लक्ष्यों का भी उल्लेख होगा जो आवेदक को प्राप्त करने हैं। नया दन्त कालेज खोलने और छात्रों को दाखिल करने की उपर्युक्त अनुमति एक वर्ष की अवधि के लिये दी जायेगी और वार्षिक लक्ष्यों की उपलब्धि तथा परफोरमेंस बैंक गारन्टी के पुनर्बेधीकरण के अध्यधीन इसका वार्षिक आधार पर नवीकरण किया जायेगा । अनुमति के नवीकरण की यह प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक दन्त कालेज की स्थापना तथा अस्पताली सुविधाओं के विस्तार का कार्य पूरा नहीं हो जाता और भारतीय दन्त परिषद द्वारा औपचारिक मान्यता दन्त कालेज की स्थापना के चार वर्ष बाद दी जायेगी । यदि कालेज विकास के विभिन्न चरणों संबंधी अपेक्षाओं से भारतीय दन्त परिषद को सन्तुष्ट नहीं करता तो कालेज में आगे दाखिला बन्द किया जा सकता है।

ध्यान देने योग्य बात :—परिषद जो भी अन्य सूचना आवश्यक समझे, प्रस्तावित दन्त कालेज से प्राप्त कर सकती है।

उपाबन्ध—I

नया दन्त कालेज खोलने के लिये केन्द्रीय सरकार की अनुमति लेने के आवेदन-पत्र का फार्म ।

(दन्त चिकित्सक अधिनियम, 1948 की धारा 20 के साथ पठित धारा 10क के अधीन)

आवेदक संबंधी ब्यौरा :

(यदि आवेदन-पत्र के फार्म में दिया गया स्थान अपर्याप्त हो तो ए–4 आकार के अतिरिक्त पन्ने प्रयोग करें। प्रत्येक प्रश्न के लिये अलग पन्ना (ने) पन्ने प्रयोग करें। आवेदन-पत्र फार्म के निर्धारित कालम में अलग प्रश्न के लिये लगाये गये अतिरिक्त पन्नों की संख्या भी साफ-साफ लिखें)

आवेदक का नाम
(साफ अक्षरों में)

पता
(साफ अक्षरों में)

पंजीकृत कार्यालय
(नं., गली, शहर, पिन कोड,
टैलीफोन, टैलैक्स, टेलीफैक्स)

डाक पता
(नं., गली, शहर, पिन कोड,
टेलीफोन, टैलैक्स, टैलीफैक्स)

संस्था का स्वरूप

विश्वविद्यालय, राज्य सरकार / संघ राज्य क्षेत्र/
स्वायत्त निकाय/सोसायटी/न्यास

पंजीकरण/संस्थापन
(संख्या और तारीख)

उद्देश्य :

राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र
से अनुमति पत्र (संख्या, तारीख और
जारी करने वाला प्राधिकरण)

विश्वविद्यालय संबन्धन का पत्र
(संख्या, तारीख तथा विश्वविद्यालय का नाम)

बैंकर का नाम
और पता

(हस्ताक्षर)
प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
(नाम और पदनाम)

स्थान----------

तारीख----------

आवेदन-पत्र के साथ भेजे जाने वाले कागजात की सूची :

1. संस्था के उप-नियमों/संघ के ज्ञापन पत्र/ट्रस्ट डीड आदि की प्रमाणित प्रति।

2. पंजीकरण/संस्थापन के प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति।

3. पिछले तीन वर्षों की वार्षिक रिपोर्टें और लेखा-परीक्षित तुलन-पत्र।

4. भूमि के स्वामित्व के प्रमाण के रूप में कुल उपलब्ध भूमि के अधिकार-पत्र की प्रमाणित प्रति।

5. उपलब्ध स्थलों के जोनिंग प्लान की प्रमाणित प्रति जिसमें उनकी भूमि का उपयोग बताया गया हो।

6. मेडिकल कालेज अस्पताल अथवा 100 पलंगों वाले जनरल अस्पताल के साथ सम्बद्ध होने का प्रमाण।

7. संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से कालेज की अनिवार्यता संबंधी प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति।

8. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा जारी संबंधन पत्र की प्रमाणित प्रति।

9. आवेदक के बैंकर के नाम सम्बोधित प्राधिकार-पत्र, जिसमें केन्द्रीय सरकार/भारतीय दन्त परिषद को यह अधिकार दिया हो कि वह आवेदक के वित्तीय रिकार्ड के बारे में स्वतन्त्र रूप से पूछ-ताछ कर सकती है।

किसी दन्त कालेज/संस्था में प्रशिक्षण के उच्च पाठ्यक्रम स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम सहित) प्रारम्भ करने के लिये केन्द्रीय सरकार की अनुमति लेने संबंधी आवेदन-पत्र

आवेदक के लिये हिदायतें :

दन्त कालेज/दन्त स्नातकोत्तर संस्थानों/चिकित्सा स्नातकोत्तर संस्थानों जैसे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली, स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़; बनारस हिन्दू विश्व-विद्यालय, वाराणसी; जवाहर लाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान पांडिचेरी आदि में दन्त विषयों में उच्च पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के लिये आवेदन दन्त चिकित्सक अधिनियम, 1948 की धारा 20 के अन्तर्गत भारतीय दन्त परिषद द्वारा निर्धारित और केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित एम.डी.एस. पाठ्यक्रम तथा पी.जी. डिप्लोमा पाठ्यक्रम के विनियमों में उल्लिखित दिशा निर्देशों के अनुरूप होना चाहिये। वे इस अनुमति के लिये केन्द्रीय सरकार को आवेदन करेंगे और आवेदन-पत्र के साथ भारतीय दन्त परिषद के विनियमों के अनुसार राज्य सरकार का अनुमति-पत्र, विश्वविद्यालय संबन्धन-पत्र और भारतीय दन्त परिषद के मानदण्डों/विनियमों के अनुरूप अतिरिक्त वित्तीय आवंटन, अतिरिक्त स्थान की व्यवस्था, अतिरिक्त उपकरणों की व्यवस्था तथा आधारभूत ढांचे संबंधी अन्य सुविधाओं की उपलब्धता और अतिरिक्त कर्मचारियों की भर्ती संबंधी व्यवस्था के लिखित प्रमाण उपलब्ध करने होंगे।

आवेदन-पत्र स्कीम प्रस्तुत करना तथा आवेदन शुल्क :

आवेदन-पत्र (उपाबंध–II) सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली को पंजीकृत डाक से भेजा जाएगा। आवेदन-पत्र के साथ आवेदन शुल्क, जो वापस नहीं होगा, के रूप में 1.00 लाख रुपये की राशि का डीमान्ड ड्राफ्ट/पे आर्डर भेजा जाए जो भारतीय दन्त परिषद के नाम पर तथा दिल्ली में देय हो। यह आवेदन शुल्क, आवेदन-पत्र के पंजीकरण, तकनीकी जांच तथा दो निरीक्षणों की फीस और आकस्मिक व्यय के लिए होगा। अधूरे आवेदन-पत्र स्वीकार

नहीं किए जाएंगे और ऐसे आवेदन-पत्र स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा अनुलग्नकों तथा आवेदन-शुल्क सहित आवेदक को वापस भेज दिए जाएंगे ।

ठीक पाये गये आवेदन-पत्र स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में पंजीकृत किए जाएंगे और मूल्यांकन तथा सिफारिशों हेतु इन्हें 30 दिन के अन्दर-अन्दर भारतीय दन्त परिषद को भेजा जाएगा । आवेदन-पत्र की स्वीकार्यता का तात्पर्य आवेदन-पत्र को केवल मूल्यांकन के लिए स्वीकार करना होगा । तथापि, किसी भी दशा में इस स्वीकार्यता का अर्थ यह नहीं होगा कि आवेदन-पत्र अनुमति देने के लिए स्वीकार कर लिया गया है । उच्च पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के लिए आवेदन-पत्र की जांच के लिए दन्त चिकित्सक (संशोधन) अधिनियम, 1993 में निर्धारित एक वर्ष की अवधि का समय आवेदन-पत्र के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में पंजीकरण की तारीख से प्रारम्भ होगा।

अर्हता संबंधी मानदण्ड :

कोई संगठन मौजूदा दन्त कालेजों/संस्थाओं में नये उच्च पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने का तभी पात्र होगा जब वह निम्नलिखित शर्तें पूरी करता हो :

1. दन्त कालेज/संस्था बी डी एस पाठ्यक्रम चलाने के लिए भारतीय दन्त परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त हो।

2. आवेदक ने मौजूदा दन्त कालेज/संस्था में उच्च पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने की वांछनीयता और व्यवहार्यता के संबंध में संबंधित राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र से अनुमति-पत्र ले लिया हो ।

3. दन्त कालेज/संस्था जिस विश्वविद्यालय के साथ संबद्ध है उस विश्वविद्यालय से इन पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करने के बारे में उससे अनुमति-पत्र ले लिया हो।

4. यह कि इन उच्च पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करने के लिए आवेदक के पास भारतीय दन्त परिषद के मानदण्डों के अनुसार अतिरिक्त उपकरण तथा कर्मचारियों की संख्या, स्थान, धन, उपकरण जैसी आधारभूत सुविधाएँ उपलब्ध करने का कोई समयबद्ध कार्यक्रम है ।

5. डिग्री और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए छात्रों का चयन केवल शैक्षिक योग्यता के आधार पर किया जाएगा । स्नातकोत्तर डिग्री और स्नातकोत्तर डिप्लोमा के शिक्षण कर्मचारियों की संख्या भारतीय दन्त परिषद के "मानदण्डों" के अनुसार होगी ।

6. आवेदक प्रत्येक विधा के लिए आधारभूत ढांचे संबंधी अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करने हेतु निम्नलिखित के अनुसार बैंक गारंटी उपलब्ध कराएगा :

स्नातकोत्तर डिग्री—60 लाख रुपये

स्नातकोत्तर डिप्लोमा—40 लाख रुपये

अपवाद :—यदि आवेदक राज्य सरकारें हैं तो उपर्युक्त शर्तें लागू नहीं होंगी लेकिन राज्य सरकारों को इस आशय का वचन देना होगा कि वे अपने प्लान बजटों में तब तक नियमित रूप से धनराशि उपलब्ध करती रहेंगी जब तक उनके द्वारा सूचित किए गए समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार पूरी सुविधाएं उपलब्ध नहीं कर दी जातीं ।

निर्धारित अवधि :

निर्धारित की गई उपर्युक्त सीमा की गणना में संबंधित व्यक्ति अथवा कालेज द्वारा स्कीम भेजने तथा परिषद केन्द्रीय सरकार द्वारा मांगे गए किसी प्रकार के ब्यौरे सूचना अथवा कागजात को भेजने में लगा समय, शामिल नहीं होगा।

भारतीय दन्त परिषद द्वारा मूल्यांकन :

भारतीय दन्त परिषद प्रस्तावित दन्त कालेज/संस्था में अध्ययन का उच्च पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने की वांछनीयता तथा व्यवहार्यता और इस स्कीम के लिए आवश्यक संसाधन और आधारभूत ढांचा उपलब्ध करने में आवेदक की सक्षमता की दृष्टि से आवेदन-पत्र का मूल्यांकन करेगी ।

मूल्यांकन करते समय परिषद आवेदक से यथा आवश्यक अतिरिक्त सूचना/स्पष्टीकरण अथवा और कागजात मांग सकती है या आवेदन-पत्र में दी गई सूचना का सत्यापन करने के लिए मौके पर जाकर स्वयं निरीक्षण भी कर सकती है ।

अनुमति देना :

केन्द्रीय सरकार, भारतीय दन्त परिषद की सिफारिशों पर मूल प्रस्ताव में यथा आवश्यक शर्तें अथवा संशोधन सुझाते हुए अध्ययन का उच्च पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने का आशय-पत्र जारी कर सकती है । आवेदक द्वारा उपर्युक्त शर्तें तथा संशोधन स्वीकार कर लेने और अपेक्षित धनराशि की परफोरमेन्स बैंक गारंटी प्रस्तुत कर देने के बाद ही औपचारिक अनुमति प्रदान की जाएगी । औपचारिक अनुमति में अध्ययन का उच्च पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने का एक समयबद्ध कार्यक्रम शामिल होगा । इस अनुमति-पत्र में भवनों, आधारभूत ढांचे संबंधी सुविधाओं, दन्त तथा तत्संबंधी उपकरणों, संकाय तथा कर्मचारियों आदि के संबंध में उन सभी आरम्भिक अपेक्षाओं की साफ-साफ परिभाषा होगी जो छात्रों का पहला बैच दाखिल करने से पहले-पहले पूरी की जानी हैं । इस अनुमति-पत्र में आने वाले वर्षों में छात्रों के दाखिले से मेल खाते हुए उन वार्षिक लक्ष्यों का भी उल्लेख होगा जो आवेदक को प्राप्त करने हैं । अध्ययन का उच्च पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने और छात्रों को दाखिल करने की उपर्युक्त अनुमति एक वर्ष की अवधि के लिए दी जाएगी और वार्षिक लक्ष्यों की उपलब्धि तथा परफोरमेंस बैंक गारंटी के पुनर्बेधीकरण के अध्यधीन इसका वार्षिक आधार पर नवीकरण किया जाएगा। अनुमति के नवीकरण की यह प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक अस्पतालों सुविधाओं के विस्तार का कार्य पूरा नहीं हो जाता तथा कथित दन्त कालेज/संस्था में अध्ययन का उच्च पाठ्यक्रम जारी रखने की औपचारिक अनुमति नहीं दे दी जाती ।

मौजूदा दन्त कालेज/संस्था में अध्ययन का उच्च पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के लिए केन्द्रीय सरकार की अनुमति लेने के आवेदन-पत्र का फार्म ।

(दन्त चिकित्सक अधिनियम, 1948 की धारा 20 के साथ पठित धारा 10 क के अधीन)

आवेदक संबंधी ब्यौरा :

(यदि आवेदन-पत्र के फार्म में दिया गया स्थान अपर्याप्त हो तो ए–4 आकार के अतिरिक्त पन्ने प्रयोग करें । प्रत्येक प्रश्न के लिए अलग पन्ना (पन्ने) प्रयोग करें। आवेदन-पत्र फार्म के निर्धारित कालम में अलग प्रश्न के लिए लगाए गए अतिरिक्त पन्नों की संख्या भी साफ-साफ लिखें ।

आवेदक का नाम
(साफ अक्षरों में)

पता
(साफ अक्षरों में)

पंजीकृत कार्यालय
(नं., गली, शहर पिन कोड,
टेलीफोन, टेलेक्स, टेलीफैक्स)

डाक पता
(नं०, गली, शहर, पिन कोड,
टेलीफोन, टेलेक्स, टेलीफैक्स)

संस्था का स्वरूप

विश्वविद्यालय/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र/
स्वायत्त निकाय/सोसायटी/न्यास

पंजीकरण/संस्थापन
(संख्या और तारीख)

उद्देश्य :

राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र
से अनुमति पत्र (संख्या/तारीख
और जारी करने वाला
प्राधिकरण)

विश्वविद्यालय संबन्धन का पत्र
(संख्या, तारीख तथा विश्वविद्यालय
का नाम)

बैंकर का नाम और पता

(हस्ताक्षर)
प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
(नाम और पद नाम)

स्थान———

तारीख ———

आवेदन-पत्र के साथ भेजे जाने वाले कागजात की सूची

1. संस्था के उप-नियमों/संघ के ज्ञापन पत्र/ट्रस्ट डीड आदि की प्रमाणित प्रति ।
2. पंजीकरण/संस्थापन के प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति ।
3. पिछले तीन वर्षों की वार्षिक रिपोर्ट और लेखा-परीक्षित तुलन-पत्र ।
4. भूमि के स्वामित्व के प्रमाण के रूप में कुल उपलब्ध भूमि के अधिकार-पत्र की प्रमाणित प्रति ।
5. उपलब्ध स्थलों के जोनिंग प्लान की प्रमाणित प्रति जिसमें उनकी भूमि का उपयोग बताया गया हो ।
6. मेडिकल कालेज अस्पताल अथवा 10 पलंगों वाले जनरल अस्पताल के साथ सम्बद्ध होने का प्रमाण ।
7. संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की अनुमति संबंधी प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति ।
8. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा जारी संबंधन पत्र की प्रमाणित प्रति ।
9. आवेदक के बैंकर के नाम सम्बोधित प्राधिकार-पत्र, जिसमें केन्द्रीय सरकार/भारतीय दन्त परिषद को यह अधिकार दिया होकि वह आवेदक के वित्तीय रिकार्ड के बारे में स्वतंत्र रूप से पूछ-ताछ कर सकती है।

मौजदा दन्त कालेज/संस्था में दाखिले की क्षमता बढ़ाने के लिए केन्द्रीय सरकार की अनुमति लेने के लिए आवेदन-पत्र

आवेदक के लिए हिदायतें :

बी.डी.एस./एम.डी.एस. अथवा स्नातकोत्तर स्तर पर दाखिले की संख्या बढ़ाने के लिए प्रस्तावित दन्त कालेज भारतीय दन्त परिषद द्वारा निर्धारित विनियमों के अनरूप होना चाहिए ।वे इस अनुमति के लिए केन्द्रीय सरकार को आवेदन करेंगे और आवेदन-पत्र के साथ भारतीय दन्त परिषद के विनियमों के अनुसार राज्य सरकार से अनुमति-पत्र और विश्व विद्यालय संबंधन पत्र तथा भारतीय दन्त परिषद के मानदण्डों/विनियमों के अनरूप अतिरिक्त वित्तीय आवंटन, अतिरिक्त उपकरणों की व्यवस्था और आधारभूत ढांचे संबंधी अन्य सुविधाओं की उपलब्धता तथा अतिरिक्त कर्मचारियों की भर्ती संबंधी व्यवस्था के निखित प्रमाण उपलब्ध करने होंगे ।

आवेदन-पत्र स्कीम प्रस्तुत करना तथा आवेदन शुल्क :

आवेदन-पत्र (उपाबंध–III) सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मत्रालय, भारत सरकार, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली-110011 को पंजीकृत डाक से भेजा जाएगा । आवेदन-पत्र के साथ आवेदन शुल्क, जो वापस नहीं होगा, के रूप में एक लाख रुपये की राशि की डीमांड ड्राफ्ट/पे-आर्डर भेजा जाए जो भारतीय दन्त परिषद के नाम पर हो और दिल्ली में देय हो । यह आवेदन-शुल्क आवेदन-पत्र के पंजीकरण, तकनीकी जांच तथा दो निरीक्षणों की फीस तथा आकस्मिक व्यय के लिए होगा ।

अर्हता संबंधी मानदण्ड :—कोई दन्त कालेज/संस्था, मौजूदा कालेज संस्था, में बी डी एस स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में

प्रवेश क्षमता बढ़ाने के लिए आवेदन करने का तभी पात्र होगा जब वे निम्न-लिखित शर्तें पूरी करता हो :—

1. यह कि मौजूदा दन्त कालिज के कब्जे में कम से कम 5 एकड़ भूमि है जिसका निर्मित क्षेत्र निम्न प्रकार से हो (जैसा कि भारतीय दन्त परिषद ने स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए निर्धारित किया है) :

दाखिला	प्रथम वर्ष	चतुर्थ वर्ष
40	16,000 वर्ग फुट	40,000 वर्ग फुट
60	24,000 वर्ग फुट	60,000 वर्ग फुट
100	40,000 वर्ग फुट	100000 वर्ग फुट

ध्यान देने योग्य बात :—निर्मित क्षेत्र का विस्तार चरणबद्ध ढंग से प्रथम और चतुर्थ वर्ष के दौरान किया जाए।

2. यह कि दन्त कालेज में उपर्युक्त निर्मित क्षेत्र के अतिरिक्त बी डी एस / स्नातकोत्तर और इन्टर्नस छात्रों तथा छात्राओं के लिए पर्याप्त छात्रावास की सुविधा और कर्मचारियों के पर्याप्त आवास सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए।

3. यह कि आवेदक ने मौजूदा दन्त कालेज में बीडीएस/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश क्षमता बढ़ाने की वांछनीयता तथा व्यवहार्यता के संबंध में संबंधित राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से अनुमति/अनिवार्यता प्रमाण-पत्र ले लिया है।

4. यह कि मौजूदा दन्त कालेज में बी डी एस/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश क्षमता बढ़ाने के संबंध में किसी मान्यता/प्राप्त विश्वविद्यालय से विश्वविद्यालय संबंधन-पत्र ले लिया है।

5. यह कि आवेदक के पास भारतीय दन्त परिषद् द्वारा यथा निर्धारित अतिरिक्त उपकरणों तथा आधारभूत ढांचे संबंधी सुविधाएं और निम्नलिखित विस्तृत चार्ट के अनुसार दन्त कुर्सियां/यूनिटें उपलब्ध करने का एक व्यवहार्य तथा समय-बद्ध विस्तार कार्यक्रम है :—

	40 दाखिले	60 दाखिले	100 दाखिले
प्रथम वर्ष	10	10	10
द्वितीय वर्ष	20	20	25
तृतीय वर्षमम	40	60	100
चतुर्थ वर्ष	80	120	200
पंचम वर्ष	100	150	250

6. यह कि मौजूदा कालेज ने परिशिष्ट I, II और III के अनुसार शिक्षण कर्मचारियों की चरणबद्ध ढंग से संख्या बढ़ाने की व्यवस्था की है।

7. यह कि आवेदक आधारभूत ढांचे संबंधी निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध करने के लिए निम्नलिखित राशि की बैंक गारंटी भारतीय दन्त परिषद के नाम उपलब्ध करता हो :—

(i) बी डी एस में प्रवेश क्षमता 40 से —50 लाख रुपये बढ़ाकर 60 करने के लिए

(ii) बी डी एस में प्रवेश क्षमता —1 करोड़ रु. (100 60 बढ़ाकर 100 करने के लिए लाख रुपए)

(iii) स्नातकोत्तर डिप्लोमा के लिए —3 लाख रु. प्रति सीट

(iv) स्नातकोत्तर डिग्री के लिए —5 लाख रु. प्रति सीट

अपवाद:— यदि आवेदक राज्य सरकार है तो उपर्युक्त शर्तें लागू नहीं होंगी लेकिन राज्य सरकारों को इस आशय का वचन देना होगा कि वे अपने प्लान बजटों में तब तक नियमित रूप से धनराशि उपलब्ध करती रहेंगी जब तक उनके द्वारा सूचित किए गए समय-बद्ध कार्यक्रम के अनुसार पूरी सुविधाएं उपलब्ध नहीं कर दी जातीं।

आवेदन-पत्र का पंजीकरण:—अधूरे आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे और स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा अनुलग्नकों तथा आवेदन-शुल्क सहित आवेदक को वापस भेज दिए जाएंगे।

ठीक पाए गए आवेदन-पत्र स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में पंजीकृत किए जाएंगे तथा मूल्यांकन और सिफारिशों हेतु 30 दिन के अन्दर-अन्दर भारतीय दन्त परिषद को भेज दिए जाएंगे आवेदन-पत्र की स्वीकार्यता का तात्पर्य आवेदन-पत्र को केवल मूल्यांकन के लिए स्वीकार करना होगा। तथापि, किसी भी दशा में इस स्वीकार्यता का अर्थ यह नहीं होगा कि आवेदन-पत्र अनुमति देने के लिए स्वीकार कर लिया गया है।

बी. डी. एस / स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश क्षमता बढ़ाने के लिए आवेदन-पत्र की जांच के लिए दन्त चिकित्सक (संशोधन) अधिनियम 1993 में निर्धारित एक वर्ष की अवधि का समय आवेदन-पत्र के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में पंजीकरण की तारीख से आरम्भ होगा।

भारतीय दन्त परिषद द्वारा मूल्यांकन:—भारतीय दन्त परिषद मौजूदा दन्त कालेज संस्था में बी डी एस / स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश क्षमता बढ़ाने की वांछनीयता तथा व्यवहार्यता और स्कीम के लिए आवश्यक संसाधन तथा आधारभूत ढांचा उपलब्ध करने में आवेदक की सक्षमता की दृष्टि से आवेदन-पत्र का मूल्यांकन करेगी।

मूल्यांकन करते समय परिषद आवेदन से यथा आवश्यक अतिरिक्त सूचना स्पष्टीकरण अथवा और कागजात मांग सकती है अथवा/आवेदन-पत्र में दी गई सूचना का सत्यापन करने के लिए मौके पर जाकर स्वयं निरीक्षण कर सकती है।

अनुमति देना :— केन्द्रीय सरकार, भारतीय दन्त परिषद की सिफारिशों पर मूल प्रस्ताव में यथा आवश्यक शर्तें तथा संशोधन करते हुए बी डी एस-स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश क्षमता बढ़ाने का आशय पत्र जारी कर सकती है। आवेदक द्वारा उपर्युक्त शर्तों तथा संशोधनों को स्वीकार करने तथा अपेक्षित राशि की परफोरमेन्स बैंक गारंटी उपलब्ध करने के बाद ही औपचारिक अनुमति प्रदान की जाएगी। औपचारिक अनुमति में मौजूदा दन्त कालेज संस्था में बी डी एस/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश क्षमता बढ़ाने का एक समयबद्ध कार्यक्रम होगा इस अनुमति में भवनों, आधारभूत ढांचे संबंधी सुविधाओं दन्त तथा तत्संबंधी उपकरणों, संकाय और कर्मचारियों आदि के संबंध में उन सभी आरम्भिक अपेक्षाओं की साफ-साफ परिभाषा होगी जो छात्रों का पहला बैच दाखिल करने से पहले-पहले पूरी की जानी है। इस अनुमति-पत्र में आने वाले वर्षों में छात्रों के दाखिले से मेल खाते हुए उन वार्षिक लक्ष्यों का भी उल्लेख होगा जो आवेदक को प्राप्त करने हैं। बी डी एस/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश बढ़ाने तथा छात्रों को दाखिल करने की उपर्युक्त अनुमति एक वर्ष की अवधि के लिए दी जाएगी और वार्षिक लक्ष्यों की उपलब्धि तथा परफोरमेन्स बैंक गारंटी के पुनर्वैधीकरण के अध्यधीन इसका वार्षिक आधार पर नवीकरण किया जाएगा। नवीकरण की यह प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक भारतीय दन्त परिषद के मानदण्डों के अनुसार भवनों आधारभूत ढांचे संबंधी सुविधाओं दन्त तथा सम्बद्ध उपकरणों को सुविधा तथा कर्मचारी और अस्पताली सुविधाओं का विस्तार पूरा नहीं कर लिया जाता और कथित दन्त कालेज में बी डी एस/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश क्षमता बढ़ाने की औपचारिक अनुमति नहीं दे दी जाती।

मौजूदा दन्त कालेज/संस्था में दाखिले की क्षमता बढ़ाने के लिए केन्द्रीय सरकार की अनुमति लेने के लिए आवेदन-पत्र का फार्म

(दन्त चिकित्सक अधिनियम 1948 की धारा 20 के साथ पठित धारा 10 क के अधीन)

आवेदक संबंधी ब्यौरा

(यदि आवेदन-पत्र के फार्म में दिया गया स्थान अपर्याप्त हो तो ए. 4 आकार के अतिरिक्त पन्ने प्रयोग करें। प्रत्येक प्रश्न के लिए अलग पन्ना (पन्ने) प्रयोग करें। आवेदन-पत्र फार्म के निर्धारित कालम में अलग प्रश्न के लिए लगाए गए अतिरिक्त पन्नों की संख्या भी साफ-साफ लिखें।

आवेदक का नाम

(साफ अक्षरों में)

पता

(साफ अक्षरों में)

पंजीकृत कार्यालय

(नं. गली, शहर, पिन कोड, टेलीफोन, टेलेक्स, टेलीफैक्स)

डाक पता

(नं. गली, शहर, पिन कोड, टेलीफोन, टेलेक्स, टेलीफैक्स)

संस्था का स्वरूप

विश्वविद्यालय/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र/ स्वायत्त/निकाय/सोसायटी/न्यास

पंजीकरण/संस्थापन

(संख्या और तारीख)

उद्देश्य

राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र से अनुमति-पत्र (संख्या, तारीख और जारी करने वाला प्राधिकरण)

विश्वविद्यालय संबन्धन का पत्र

(संख्या तारीख तथा विश्वविद्यालय का नाम)

बैंकर का नाम और पता

(हस्ताक्षर)

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

(नाम और पदनाम)

स्थान

तारीख

आवेदन :—पत्र के साथ भेजे जाने वाले कागजात की सूची:

1. संस्था के उप-नियमों/संघ के ज्ञापन पत्र/ट्रस्ट डीड आदि की प्रमाणित प्रति।
2. पंजीकरण/संस्थापन के प्रमाणपत्र की प्रमाणित प्रति।
3. पिछले तीन वर्षों की वार्षिक रिपोर्टें और लेखा परीक्षित तुलन-पत्र।
4. भूमि के स्वामित्व के प्रमाण के रूप में कुल उपलब्ध भूमि के अधिकार पत्र की प्रमाणित प्रति।
5. उपलब्ध स्थलों के जोनिंग प्लान की प्रमाणित प्रति जिसमें उनकी भूमि का उपयोग बताया गया हो।
6. मेडिकल कालेज अस्पताल अथवा 100 पलंगों वाले जनरल अस्पताल के साथ सम्बद्ध होने का प्रमाण।
7. संबंधित राज्य सरकार संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन की अनुमति संबंधी प्रमाणपत्र की प्रमाणित प्रति।
8. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा जारी संबंधन पत्र की प्रमाणित प्रति।
9. आवेदक के बैंकर के नाम सम्बोधित प्राधिकार-पत्र जिसमें केन्द्रीय सरकार/भारतीय दन्त परिषद को यह अधिकार दिया हो कि वह आवेदक के वित्तीय रिकार्ड के बारे में स्वतंत्र रूप से पूछ ताछ कर सकती है।

परिशिष्ट- 1

भारतीय दन्त परिषद

पद वर्ष वार आधार पर स्वीकृत होंगे--बी. डी. एस. दाखिला--40 सीटें

प्रिंसिपल एवं प्रोफेसर- 1. (विशिष्टता के विषय के अनुसार निम्नलिखित तालिका में से प्रोफेसर का एक पद हटाया जा सकता है)
प्रत्येक विभाग का विभागाध्यक्ष एक प्रोफेसर होना चाहिए।

	प्रथम वर्ष			द्वितीय वर्ष			तृतीय वर्ष			तृतीय वर्ष के आरम्भ से आगे कुल स्वीकृत पद		
	प्रोफेसर	रीडर	लेक्चरार	प्रोफेसर	रीडर	लेक्चरार	प्रोफेसर	रीडर	लेक्चरार	प्रोफेसर	रीडर	लेक्चरार
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. प्रोस्थोडोंटिक्स	--	--	1	--	--	1	--	1	--	1	1	2
2. ओरल पैथालॉजी	--	---	1	1	--	--	--	1	--	1	1	1
3 कंजरवेटिव डेंटिस्ट्री	--	--	2	1	--	1	--	1	--	1	1	3
4. ओरल सर्जरी	--	--	2	--	--	--	1	1	---	1	1	2
5. पेरियोडोंटिक्स	--	--	2	--	--	--	1	1	--	1	1	2
6. ऑर्थो-डोंटिक्स	--	--	1	--	--	--	1	1	--	1	1	1
7. पेडोडोंटिक्स	--	--	1	--	--	--	--	1	--	--	1	1
8. ओरल मेडिसिन एण्ड रेडियोलाजी	--	--	1	--	--	--	--	1	--	--	1	1
9. कम्युनिटी डेंटिस्ट्री	--	--	--	---	--	--	--	1	1	--	1	1
10. डेन्टल मेटीरियल	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	1
11. डेन्टल एनाटॉमी	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	1
कुल :	*1	--	12	2	--	3	3	9	1	6	9	16

टिप्पणी:--*किसी भी विशिष्टता का एक प्रोफेसर ।

प्रिंसिपल/

डीन सचिव

यदि किसी संस्था में ऊपर बताए गए 11 विभाग इस समय अस्तित्व में नहीं हैं तो शिक्षण तथा प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए एक प्रोफेसर के अधीन किन्हीं दो समवर्ती विभागों को मिलाया जा सकता है ।

कालेज प्राधिकारियों द्वारा निम्नलिखित टिप्पणी के साथ, पूरे ब्लाक बनाते हुए, एक विभागाध्यक्ष के अधीन निम्नलिखित विषयों को मिलाया जा सकता है :--

ब्लाक I : प्रोस्थोडोंटिक्स/डेन्टल मेटीरियल

ब्लाक II : कंजरवेटिव डेंटिस्ट्री/पेडोडोंशिया/डेन्टल मेटीरियल

ब्लाक III : ओरल पैथालॉजी/ओरल मेडिसिन एण्ड रेडियोलॉजी

ब्लाक IV : ओरल सर्जरी/डेन्टल एनाटॉमी

ब्लाक V : पेरियोडोंटिक्स/कम्युनिटी डेंटिस्ट्री

ब्लाक VI : आर्थोडोंटिक्स/पेडोडोंटिक्स/डेन्टल एनॉटामी

टिप्पणी : एक विभागाध्यक्ष के अधीन दो से अधिक विषय नहीं होने चाहिए और दो से अधिक विषय एक साथ नहीं मिलाए जाने चाहिए ।

परिशिष्ट-II

भारतीय दन्त परिषद

पद वर्ष वार आधार पर स्वीकृत होंगे—बी. डी. एस. पाठ्यक्रम—60 सीटें

प्रिंसिपल एवं प्रोफेसर- 1 (विशिष्टता के विषय के अनुसार निम्नलिखित तालिका में से प्रोफेसर का एक पद हटाया जा सकता है)

प्रत्येक विभाग का विभागाध्यक्ष एक प्रोफेसर होना चाहिए।

	*प्रथम वर्ष			द्वितीय वर्ष			तृतीय वर्ष			तृतीय वर्ष के आरम्भ से आगे कुल स्वीकृत पद		
	प्रोफेसर	रीडर	लेक्चरार	प्रोफेसर	रीडर	लेक्चरार	प्रोफेसर	रीडर	लेक्चरार	प्रोफेसर	रीडर	लेक्चरार
1. प्रोस्थोडोंटिक्स	--	1	2	--	--	2	--	1	--	1	2	4
2. ओरल पैथालॉजी	--	--	2	1	--	--	--	1	--	1	1	2
3. कंजरवेटिव डेंटिस्ट्री	--	1	3	1	--	2	--	1	--	1	2	5
4. ओरल सर्जरी	--	--	2	--	--	1	1	1	--	1	1	3
5. पेरियोडोंटिक्स	--	--	2	--	--	1	1	1	--	1	1	3
6. आर्थोडोंटिक्स	--	--	1	--	--	1	1	1	--	1	1	2
7. पेडोडोंटिक्स	--	--	1	--	--	1	--	1	--	--	1	2
8. ओरल मेडिसिन एण्ड रेडियोलॉजी	--	--	1	--	--	1	--	1	--	--	1	2
9. कम्युनिटी डेंटिस्ट्री	--	--	--	--	--	1	--	1	1	--	1	2
10. डेन्टल मेटीरियल	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	1
11. डेन्टल एनाटॉमी	--	--	--	--	--	-- 1	--	--	--	--	--	1
कुल :	*1	2	15	2	--	11	3	9	1	6	11	27

टिप्पणी : *किसी भी विशिष्टता का एक प्रोफेसर।

प्रिंसिपल /
डीन सहित

यदि किसी संस्था में ऊपर बताए गए 11 विभाग इस समय अस्तित्व में नहीं हैं तो शिक्षण तथा प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए एक प्रोफेसर के अधीन किन्हीं दो समवर्ती विभागों को मिलाया जा सकता है।

कालेज प्राधिकारियों द्वारा निम्नलिखित टिप्पणी के साथ पूरे ब्लाक बनाते हुए, एक विभागाध्यक्ष के अधीन निम्नलिखित विषयों को मिलाया जा सकता है :—

ब्लाक I : प्रोस्थैटिक्स/डेन्टल मैटीरियल

ब्लाक II : कंजरवेटिव डेंटिस्ट्री/पैडोडोंशिया/डेन्टल मेटीरियल

ब्लाक III : ओरल पैथालॉजी/ओरल मेडिसिन एण्ड रेडियोलॉजी

ब्लाक IV : ओरल सर्जरी/डेन्टल एनाटॉमी

ब्लाक V : पेरियोडोंटिक्स/कम्युनिटी डेंटिस्ट्री

ब्लाक VI : आर्थोडोंटिक्स/पेडोडोंटिक्स/डेन्टल एनाटॉमी

टिप्पणी : एक विभागाध्यक्ष के अधीन दो से अधिक विषय नहीं होने चाहिए और दो से अधिक विषय एक साथ नहीं मिलाए जाने चाहिए।

परिशिष्ट–III

भारतीय दंत परिषद

पद वर्षवार आधार पर स्वीकृत होंगे—बी.डी.एस. दाखिला—100 सीटें

प्रिंसिपल एवं प्रोफेसर—1 (विशिष्टता के विषय के अनुसार निम्नलिखित तालिका में से प्रोफेसर का एक पद हटाया जा सकता है)
प्रत्येक विभाग का विभागाध्यक्ष एक प्रोफेसर होना चाहिए।

	*प्रथम वर्ष			द्वितीय वर्ष			तृतीय वर्ष			तृतीय वर्ष के प्रारम्भ से आगे कुल स्वीकृत पद		
	प्रोफेसर	रीडर	लेक्चरर	प्रोफेसर	रीडर	लेक्चरर	प्रोफेसर	रीडर	लेक्चरर	प्रोफेसर	रीडर	लेक्चरर
1. प्रोस्थोडोंटिक्स	—	1	1	—	1	3	—	1	—	1	3	7
2. ओरल पैथोलॉजी	—	—	[illegible]	1	—	—	—	1	—	1	1	2
3. कंजरवेटिव डेंटिस्ट्री	—	1	5	1	—	3	—	1	—	1	2	8
4. ओरल सर्जरी	—	—	[illegible]	—	—	2	1	2	—	1	2	4
5. पेरियोडोंटिक्स	—	—	2	—	—	2	1	1	—	1	1	4
6. आर्थोडोंटिक्स	—	—	1	—	—	2	1	1	—	1	1	3
7. पेडोडोंटिक्स	—	—	1	—	—	2	—	1	—	—	1	3
8. ओरल मेडिसिन एण्ड रेडियोलॉजी	—	—	1	—	—	2	—	1	—	—	1	3
9. कम्युनिटी डेंटिस्ट्री	—	—	—	—	—	2	—	1	1	—	1	3
10. डेन्टल मैटीरियल्स	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
11. डेन्टल एनाटॉमी	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
कुल :	*1	2	19	2	1	19	3	10	1	6	13	39

टिप्पणी : *किसी भी विशिष्टता का एक प्रोफेसर।

सचिव/
उप सचिव

यदि किसी संस्था में ऊपर बताए गए 11 विभाग इस समय अस्तित्व में नहीं हैं तो शिक्षण तथा प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए एक प्रोफेसर के अधीन किन्हीं दो समवर्ती विभागों को मिलाया जा सकता है।

कालेज प्राधिकारियों द्वारा निम्नलिखित टिप्पणी के साथ, पूरे ब्लाक बनाते हुए, एक विभागाध्यक्ष के अधीन निम्नलिखित विषयों को मिलाया जा सकता है।

ब्लाक I : प्रोस्थोडोंटिक्स/डेन्टल मैटीरियल्स

ब्लाक II : कंजरवेटिव डेंटिस्ट्री/पेडोडोंटिक्स/डेन्टल मैटीरियल्स

ब्लाक III : ओरल पैथोलॉजी/ओरल मेडिसिन एण्ड रेडियोलॉजी

ब्लाक IV : ओरल सर्जरी/डेन्टल एनाटॉमी

ब्लाक V : पेरियोडोंटिक्स/कम्युनिटी डेंटिस्ट्री

ब्लाक VI : आर्थोडोंटिक्स/पेडोडोंटिक्स/डेन्टल एनाटॉमी

ए. एल. मिन्जानी, एक्टिंग सचिव

टिप्पणी : एक विभागाध्यक्ष के अधीन दो से अधिक विषय नहीं होने चाहिए और दो से अधिक विषय एक साथ नहीं मिलाए जाने चाहिए।

DENTAL COUNCIL OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st September, 1993

No. DE 2293.—In exercise of the powers conferred by Section 10A read with Section 20 of the Dentists Act, 1948 (16 of 1948), the Dental Council of India with the previous approval of the Central Government hereby makes the following regulations relating to establishment of new Dental Colleges, opening of higher courses of study and increase of admission capacity in Dental Colleges, namely :—

1. (i) Short title and commencement.—These regulations may be called the Establishment of new dental colleges, opening of higher courses of study and increase of admission capacity in dental colleges Regulations, 1993.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the official gazette.

2. Scheme relating to dental colleges.—The scheme referred to in clauses (a) and (b) of sub-section (2) of Section 10A of the Dentists Act, 1948 is annexed here to

SCHEME

APPLICATION FOR PERMISSION OF THE CENTRAL GOVERNMENT TO ESTABLISH A NEW DENTAL COLLEGE

Instructions to the Applicant :

Eligibility Criteria.—The following organisations shall be eligible to apply for permission to set up new dental college :

1. University and State Governments/Union Territories.
2. Autonomous Bodies promoted by Central and State Govts.
3. Societies registered under Societies Registration Act, 1860.
4. Public Trusts, Religious or Charitable, Registered under the Indian Trusts Act, 1882, Wakfa Act, etc.

The Applicants are requested to ensure that complete information, as detailed below, is furnished while submitting the application.

Qualifying Criteria.—The eligible organisations shall abide by the Dentists Act, 1948 and the Regulations framed therein under and shall qualify to apply for permission to establish new Dental Colleges only if the following conditions are fulfilled :—

1. That Dental Education is one of the main objectives of the applicant.
2. That the minimum 5 acres of land and with constructed areas as shown below is owned and possessed by the applicant to set up the proposed Dental College.

Admissions	1st year	4th year
40	16,000 sq. ft.	40,000 sq. ft
60	24,000 sq. ft.	60,000 sq. ft.
100	40,000 sq. ft.	100,000 sq. ft.

N.B. 1. Constructed area to be increased in a phased manner between 1st and 4th year

2. Adequate Hostel Accommodation and Staff-accommodation should be available in addition to the above-mentioned build-up area of the Dental College.

3. that permission essentiality certificate regarding the desirability and feasibility of having the proposed Dental College at the proposed location has been obtained by the applicant from the respective State Government or the Union Territory Administration.

4. that permission letter of University's Affiliation for the proposed Dental College has been obtained by the applicant from a recognised University and that the adequate clinical material is available for fulfiling the requirements of the syllabus and regulations laid down by the Dental Council of India.

5. that the applicant has a feasible and time-bound programme to set up the proposed Dental College alongwith the required infrastructural facilities including adequate hostel facilities for boys and girls as prescribed by the Dental Council of India, commensurate with the proposed intake of students, so as to complete the Dental College with in a period of four years from the date of grant of permission.

6. that the Dental College will admit students only after the Council has satisfied itself about the infrastuructural and other facilities for starting B.D.S. Course and the College will admit students only after receiving a written permission from the Central Government.

7. that the applicant should be able to take admissions to the College within two years of grant of permission and should complete total development of the Dental College within three years from the date of taking admissions.

8. that the Dental College should be an independent institution with full compliment of staff, including the Principal/Dean.

9. that the applicant shall locate the proposed College in proximity of Medical College and shall get an undertaking of the said Medical College to the effect that the said Medical College shall facilitate training to the students of the proposed Dental College in the subjects of Medicine, Surgery and Allied Medical Sciences.

Where no Medical College is available in the proximity of the proposed Dental College, the proposed Dental College shall get itself tied up with a General Hospital which is having provision for atleast 100 beds and which is located within 10 K.M. redius of the proposed Dental College. It shall be the duty of the applicant to produce evidence that the infrastructural facilities such as teaching, pre-clinical, para-clinical and allied medical sciences are owned by the proposed Dental College itself.

10. that the applicant has a feasible and time-bound expansion programme to provide additional equipments and infrastructural facilities, as prescribed by the Dental Council of

India and detailed chart for Dental Chairs/Units, as given below :

	40 Admissions	60 Admissions	100 Admissions
1st year	10	10	10
2nd year	20	20	25
3rd year	40	60	100
4th year	80	120	200
5th year (Internalship)	100	150	250

11. that the applicant has made provision for expansion of teaching staff in a phased manner as per Appendix : 1, 2 and 3 (Chart of Staff).

12. that the applicant provides a performance bank-guarantee in favour of Dental Council of India for the establishment of the Dental College and its infrastructural facilities as follows :

40 Admissions	60 Admissions	100 Admissions
Rs. 75 lakhs	Rs. 120 lakhs	Rs. 150 lakhs

Exception : The above condition shall not apply to applicants who are State Governments provided that they shall give an undertaking to provide funds in their plan Budget regularly till facilities are fully provided as per the time bound programme indicated by them.

Forms and Procedures.—Subject to fulfilment of the above Eligibility and Qualifying criteria, the application for setting up as new Dental College will be submitted by the applicant in the following two Parts :

PART-I

Part-I of the application (Annexure-I) will contain the following particulars about the applicant and information regarding the desirability and prima-facie feasibility of setting up a Dental College at the proposed location :

1. Information regarding constitution of the applicant organisation within the terms of reference of the eligibility criteria,

2. Information regarding basic infrastructural facilities and managerial and financial capabilities of the applicant, and

3. Information regarding availability of necessary certificates and permission-letters as prescribed in the Qualifying Criteria.

PART-II

Part-II of the application will contain detailed description of the scheme to set up the new Dental College and will be submitted in the form of a detailed Techno-Economic Feasibility Report about the proposed Dental College, complete with the following :

1. name and address of the Dental College,

2. market survey and environmental analysis : including national regional dental education policy, need and availability of trained dental manpower, gap analysis, desirability and prima-facie feasibility of establishing a new Dental College at the proposed location.

3. site characteristics and availability of external linkages : including topography, plot size, permissible floor space index, ground coverage, building height, road access, availability of public transport electric supply, water supply, sewage connection, telephone lines etc.,

4. educational programme : including annual in-take of students (maximum admissions in one academic year should not exceed 100), admission criteria, reservation/preferential allocation of seats (if any), department-wise and year-wise curriculum of studies,

5. the details about the Medical College, Hospital or 100-beded General Hospital to which the proposed Dental College is to be attached and a certificate of commitment to that effect is to be enclosed.

6. functional programme : including department-wise and service-wise functional requirements and area distribution and room-wise seating capacity,

7. equipment programme : including room-wise list of dental, scientific and allied equipment complete with schedule of quantities and specifications,

8. manpower programme : including department-wise requirements of teaching staff (full-time) technical, administrative and ancillary staff, category-wise recruitment criteria and salary structure etc. (minimum as per UGC scale).

9. the details of arrangements for teaching of non-clinical, medical subjects, indicating whether the arrangements are independent in the proposed Dental College or facilities of a medical college will be utilised,

11. building programme : including building-wise build-up-area of the Dental College, faculty and staff housing, staff and student hostels, administrative office, library auditorium, animal house and other infrastructural facilities such as cultural and recreational centre, sports complex etc.,

11. planning and layout including master plan of the Dental College Complex, layout plans, sections, elevations and floor-wise area calculations of the Dental College and ancillary building etc.,

12. phasing and scheduling : including month-wise schedule of activities, indicating commencement and completion of building design, local body approvals, civil construction, provision of engineering services and equipment, recruitment of staff and phased commissioning, to commensurate with the proposed intake of students.

13. project cost : including capital cost of land, buildings, plant and machinery, dental scientific and allied equipment, furniture and preliminary and pre-operative expenses,

14. means of financing the project cost : including contribution of the applicant, grants and donations, equity and term loans, and other sources if any,

15. revenue assumptions : including fee structure and estimated annual revenue from various sources,

16. expenditure assumptions : including operating expenses, financial expenses and depreciation; and

17. operating results : including income statement, cash flow statement and projected balance-sheets.

Submission of Application/Scheme and Application Fee.—The application shall be submitted by registered post only to the Secretary (Health), Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, Nirman Bhawan, Maulana Azad Road, New Delhi-110011, alongwith a non-refundable application fee of Rs. 2.00 lakhs in the form of a Demand Draft/ Pay Order in favour of Dental Council of India and payable at Delhi. The application fee shall include registration fee, fee for technical scrutiny and fee for three inspections and other contingent expenditure. Beyond three inspections the applicant has to pay to the Council inspection fee prescribed by the Council from time to time. Incomplete applications will not be accepted and will be returned by the Ministry of Health and Family Welfare to the applicant, alongwith enclosures and application fee.

Application found complete in all respects will be registered by the Ministry of Health and Family Welfare and forwarded to the Dental Council of India within 30 days for evaluation and recommendations. Acceptance of the applications will only signify the acceptance of application for evaluation. It will, however, under no circumstances, mean approval of the application for grant of permission.

The period of one year prescribed under the Dentists (Amendment) Ordinance of 1993 for processing of an application for setting up a new Dental College will commence from the date of registration of the application by the Ministry of Health and Famiy Welfare.

Evaluation by the Dental Council of India.—The Dental Council of India will evaluate the application to establish the desirability and prima-facie feasibility of setting up the Dental College at the proposed location and the capability of the applicant to provide the necessary resources and infrastructure for the scheme.

While evaluating the application, the Council may seek further information/clarification or additional documents from the applicant as considered necessary or may carry out physical inspection to verify the information.

Grant of Permission.—The Central Government on the recommendations of the Dental Council of India, may issue a letter of intent to set up a new Dental College with such conditions or modification in the original proposal as may be considered necessary. The formal permission will be granted after the above conditions and modifications are accepted and the performance bank guarantees for the required sums are furnished by the applicant.

The formal permission will include a time-bound programme for the establishment of the Dental College. This permission will also include a clear-cut definition of preliminary requirements to be met in respect of buildings, infrastructural facilities, dental and allied equipment, faculty and staff etc. before admitting the first batch of students. The permission will also define annual targets to be achieved by the applicant to commensurate with the in-take of students during the following years.

The above permission to establish a new Dental College and admit students will be granted for a period of one year and will be renewed on yearly basis subject to verification of the achievement of annual targets and revalidation of the performance bank guarantees. This process of renewal of permission will continue till such time the establishment of the Dental College and expansion of the hospital facilities is completed and a formal recognition will be granted after four years of the Dental College by the Dental Council of India. Unless the College fulfills the requirements for various stages of development to the satisfaction of the Dental Council of India further admissions are liable to be stopped.

N.B. The Council may obtain any other information from the proposed Dental College as it deems fit and necessary.

FORMAT OF APPLICATION POR PERMISSION OF THE CENTRAL GOVT. TO ESTABLISH A NEW DENTAL COLLEGE

(Under Sec. 10A read with sec. 20 of the Dentists Act, 1948)

PARTICULARS OF THE APPLICANT :

(use additional sheets of A4 size, if the spece provided in the application form is not adequate. Use separate sheet(s) a for each question. Also specify clearly in the prescribed column of the application from the number of additional sheet (s) provided for the separate question).

NAME OF THE APPLICANT
(In Block Letters)

ADDRESS
(In Block Letters)

REGISTERED OFFICE
(No., Street, City, Pin Code,
Telephone, Telex, Telfax)

MAILING ADDRESS
(No., Street, City, Pin Code,
Telephone, Telex, Telefax.

CONSTITUTION
University/State Govt./Union Territories
Autonomous Body, Society, Trust

REGISTRATION/INCORPORATION
(Number & Date)

objectives :

State Govt. Union Territory
Permission Letter
(Number, Date and Issuing Authority)

Letter of University
Affiliation
(Number, Date and name
of University)

Bankers—

(Name & Address)

(Signature)
Authorised Signatory
(Name & Designation)

PLACE

DATE

LIST OF ENCLOSURES :

1. Certified Copy of Bye Laws|Memorandum and Articles of Association/Trust Deed etc.
2. Certified Copy of Certificate of Registration/Incorporation.
3. Annual Reports and Audited Balance Sheets for the last 3 years.
4. Certified Copy of the Title Deeds of the total available land as a proof of ownership.
5. Certified copy of the Zoning Plans of the available sites, indicating their land use.
6. Proof of attachment with Medical College Hospital or 100 beded General Hospital.
7. Certified Copy of the essentiality certificate by the respective State Government|Union Territory Administration.
8. Certified copy of the Letter of Affiliation issued by a recognised University.
9. Authorisation Letter adressed to the Bankers of the Applicant, authorising the Central Government/Dental Council of India to make independent enquiries regarding the financial track record of the applicant.

APPLICATION FOR PERMISSION OF THE CENTRAL GOVERNMENT FOR STARTING HIGHER COURSES

(INCLUDING POST GRADUATE DIPLOMA COURSE)

IN A DENTAL COLLEGE/INSTITUTION

Instrutcions to the Applicant :

For starting higher courses in Dental subjects in the Dental College/Dental Postgraduate Institutes/ Medical Postgraduate Institutes like A.I.I.M.S., New Delhi; P.G.I. Chandigarh; B.H.U Varanasi; I.I.P.M.E..R Pondicherry, etc., the applicant should confirm to the guidelines laid down in the Regulations of the M.D.S. Course and P.G. Diploma Course prescribed by the Dental Council of India and approved by the Central Government under section 20 of the Dentists Act, 1948. They should apply to the Central Government for this permission along with the State Government Permission University's affiliation and in conformity with the Dental Council of India's Regulations and documentary evidence to show additional financial allocation, provision for additional space. provision for additional equipment and other infrastructural facilities and provision for recruitment of additional staff as per Dental Council of India 'norms'/Regulations.

Submission of Application/Scheme and Application Fee.—The application (Annexure II) shall be submitted by registered post to the Secretary (Health), Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, Nirman Bhavan, Maulana Azad Road, New Delhi-110011, alongwith a non-refundable application fee of Rs. One Lakh in the form of Demand Draft/ Pay Order in favour of 'Dental Council of India' and payable at Delhi. The fee shall include registration fee, fee for technical scrutiny and fee for two inspection and contingent expenditure. Incomplete applications will be returned by the Ministry of Health and Family Welfare to the applicant along with enclosures and application fee.

Application found complete in all respects will be registered by the Ministry of Health and Family Welfare and passed on to the Dental Council of India within 30 days for evaluation and recommendations. Acceptance of the application will only signify the acceptance of the application for evaluation. It will, however, under no circumstances, mean approval of the application for grant of permission.

The period of one year prescribed under the Dentists (Amendment) Ordinance of 1993 for processing of an application for getting Higher Course will commence from the date of registration of the application by the Ministry of Health and Family Welfare.

Qualifying Criteria.—The organisation shall qualify for starting the new higher courses in the existing dental colleges/institutions only if the following conditions are fulfilled :—

1. The Dental College/Institution is recognised by the Dental Council of India for running BDS Course.
2. The permision letter regarding desirability and feasibility for starting of higher courses at the existing Dental College|institution has been obtained by the applicant from the respective State Government or the Union Territory administration.
3. Letter of University's permission for starting these courses at the existing dental college| institution has been obtained by the applicant from the University to which it is affiliated.
4. That the applicant has a feasible and time bound programme to provide additional equipment

and infrastructural facilities like the number of staff, space, funds, equipment for starting these higher courses as per Dental Council of India 'norms'.

5. Selection of candidates for degree and diploma courses will be made strictly on the basis of academic merit. The number of teaching staff for P.G. degree and P.G. diploma will be as per Dental Council of India 'norms'.

6. The application provides a bank guarantee for providing additional infrastructural facilities for each discipline as follows :—

P.G. degree	60 lakhs
P.G. diploma	40 lakhs

Exception: The above condition shall not apply to applicants who are State Governments provided that they shall given an undertaking to provide funds in their plan Budget regularly till facilities are fully provided as per the time bound programme indicated by them.

Prescribed period.—In computing the time limit specified above, the time taken by the person or the College concerned submitting the scheme and furnishing any particular information or documents called for by the Council or by the Central Government shall be excluded.

Evaluation by dental council of India.—Dental Council of India will evaluate the application to establish the desirability and prima-facie feasibility of starting higher courses at the Dental College|Institution and the capability of the applicant to provide the necessary resources and infrastructure for the scheme.

While evaluating the application, the Council may seek further information|clarification or additional documents from the applicant as considered necessary or may carry out physical inspection to verify the information.

Grant of Permission.—The Central Government on the recommendations of the Dental Council of India, may issue a letter of intent for starting higher courses with such conditions of modification in the original proposal as may be considered necessary. The formal permission will be granted after the above condition and modifications are accepted and the performance bank guarantees for the required sums are furnished by the applicant.

The formal permission will include a time-bound programme for the establishment of the higher course of study. This permission wil also include a clear-cut definition of preliminary requirements to be met in respect of buildings, infrastructural facilities, dental and allied equipment, faculty and staff etc. before admitting the first batch of students. The permission will also define annual targets to be achieved by the applicant to commensurate with the intake of students during the following years.

The above permission to start higher courses and to admit students will be granted for a period of one year and will be renewed on yearly basis after verification of the achievment of annual targets and revalidation of the performance bank guarantees. This process of renewal of permision will continuous till such time the expansion of the hospital facilities is completed and a formal permission for continuing higher course of study is granted at the said Dental College|institution.

FORMAT OF APPLICATION FOR PERMISSION OF THE CENTRAL GOVERNMENT FOR STARTING HIGHER COURSES

(INCLUDING POST GRADUATE DIPLOMA COURSE) IN A DENTAL COLLEGE| INSTITUTION

PARTICULARS OF THE APPLICANT

(Use additional sheets of A4|size, if the space provided in the application form is not adequate. Use separate sheet(s) for each question. Also specify clearly in the prescribed column of the application form the number of additional sheet(s) provided for the separate question).

NAME OF THE APPLICANT
(In Block Letters)

ADDRESS
(In Block Letters)

REGISTERED OFFICE
(No., Street, City, Pin Code,
Telephone, Telex, Telefax)

MAILING ADDRESS
(No., Street, City, Pin Code,
Telephone, Telex, Telefax)

CONSTITUTION
University|State Govt.|Union Territories.
Autonomous Body, Society,
Trust,

REGISTRATION/INCORPORATION
(Number & Date)

Objectives :

State Govt./Union Territory
Permsision Letter
(Number, Date and Issuing
Authority)

Letter of University
Affiliation
(Number, Date and Name
of University)

Bankers
(Name and Address)

(Signature)

Authority Signatory

(Name and Designation)

LIST OF ENCLOSURES :

1. Certified Copy of Bye Laws/Memorondum and Articles of Association/Trust Deed etc.

2. Certified Copy of Certificates of Registration/Incorporation.

3. Annual Reports and Audited Balance Sheets for the last 3 years.

4. Certified copy of the Title Deeds of the total available land as a proof of ownership.

5. Certified copy of the Zoning Plans of the available sites indicating their land use.

6. Proof of attachment with Medical College Hospital of 100 beded General Hospital.

7. Certified copy of the Permission by the respective State Govt./Union Territory Administration.

8. Certified copy of the letter of Affiliation issued by a recognised University.

9. Authorisation letter addressed to the Bankers of the Applicant authorising the Central Government/Dental Council of India to make independent enquiries regarding the financial track record of the applicant.

APPLICATION FOR PERMISSION OF THE CENTRAL GOVERNMENT TO INCREASE ADMISSION CAPACITY IN THE EXISTING DENTAL COLLEGE/INSTITUTION

Instructions to the Applicant :

For increasing the number of seats at the BDS/MDS or PG level, the College should confirm to the Regulations prescribed by the Dental Council of India. They should apply to the Central Government for this permission along with the State Government's Permission, University's affiliation and in conformity with the Dental Council of India Regulations and documentary evidence to show the additional financial allocation provision for additional equipment and other infrastructural facilities and provision for recruitment of additional staff as per Dental Council of India norms.

SUBMISSION OF APPLICATION/SCHEME AND APPLICATION FEE

The application (Annexure III) shall be submitted by registered post to the Secretary (Health), Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, Nirman Bhavan, Maulana Azad Road, New Delhi-110011 alongwith a non-refundable application fee of Rupees One Lakh in the form of Demand Draft/pay order in favour of 'Dental Council of India' and payable at Delhi. The fee shall include registration fee for technical scrutiny and fee for two inspection and contingent expenditure.

QUALIFYING CRITERIA

Dental Colleges/Institutions shall qualify to apply for increasing in the BDS/PG courses the number of admission in the existing Dental College only if the following conditions are fulfilled :

1. that the existing Dental College is in possession of minimum 5 acres of land and with constructed area as shown here under (or as decided by the Council for P.G. Courses)

Admissions	1st year	4th year
40	16,000 sq. ft.	40,000 sq. ft.
60	24,000 sq. ft.	60,000 sq. ft.
100	40,000 sq. ft.	1,00,000 sq. ft.

N.B Constructed area to be increased in a phased manner between 1st year and 4th year.

2. that adequate hostel accommodation for boys and girls. and staff accommodation should be available in addition to the above-mentioned built-up area of the Dental College for BDS/PG's and Interns.

3. that the Permission essentiality certificate regarding the desirability and feasibility of having an increase of BDS/PG courses at the exsting Dental College has been obtained by the applicant from the respective State Government or the Union Territory Administration.

4. that letter of University's affiliation for increasing the BDS/PG seats at the existing Dental College has been obtained by the applicant from a recognised University.

5. that the applicant has a fessible and time-bound expansion programme to provide additional equipments and infrastructural facilities as prescribed by the Dental Council of India and detailed chart for Dental Chair/Units as given below :

	40 admissions	60 admissions	100 admissions
1st year	10	10	10
2nd year	20	20	25
3rd year	40	60	100
4th year	80	120	200
5th year	100	150	250

6. that the existing Dental College has made provision for expansion of Teaching Staff facility in a phased manner as per Appendix 1, 2 and 3.

7. that the applicant furnishes a bank gurantee in favour of Dental Council of India for providing the additional infrastructural facilities as follows :

(i) For increase of BDS seats from 40 to 60 Rs. 50 Lakhs.

(ii) For increase of BDS seats from 60 to 100 Rs. 1 Crore (100 Lakhs).

(iii) For P.G. Diploma Rs. 3 Lakhs per seat.

(iv) For P.G. Degree Rs. 5 lakhs per seat.

Exception : The above condition shall not apply to applicants who are state Governments provided that they shall give an undertaking to provide funds in their plan Budget regularly till facilities are fully provided as per the time bound programme indicated by them.

REGISTRATION OF APPLICATION :

Incomplete applications will not be accepted and will be returned by the Ministry of Health and Family Welfare to the applicant along with enclosures and processing fee.

Application found complete in all respects will be registered by the Ministry of Health and Family Welfare and forwarded on to the Dental Council of India within 30 days for evaluation and recommendations. Acceptance of the application will only signify the acceptance of the application for evaluation. It will, however, under no circumstances, mean approval of the application for grant of permission.

The period of one year prescribed under the Dentists (Amendment) Ordinance of 1993 for processing of an application for increasing the number of seats in BDS/PG courses will commence from the date of registration of the application by the Ministry of Health and Family Welfare.

EVALUTION BY DENTAL COUNCIL OF INDIA :

The Dental Council of India will evaluation the application to establish the desirability and prima-facie feasibility for increasing the BDS/PG admision strength at the existing Dental College/institution and the capability of the applicant to provide the necesary resources and infrastructure for the scheme.

While evaluation the application the Council may seek further information/clarification or additional documents from the applicant as considered necessary or may carry out physical inspection to verify the information.

GRANT OF PERMISSION :

The Central Government on the recommendations of the Dental Council of India, may issue a letter of intend to increase BDS/PG admission with such conditions of modification in the original proposal as may be considered necessary. The formal permission will be granted after the above conditions and modifications are accepted, and the performance bank guarantee for the required sums are furnished by the applicant.

The formal permission will include a time-bound programme for increasing the BDS/PG admission strength at the existing Dental College/Institution. This permission will also include a clear-cut definition of preliminary requirements to be met in respect of buildings, infrastructural facilities, dental and allied equipment, faculty and staff etc. before admitting the first batch of students. The permission will also define annual targets to be achieved by the applicant to commensurate with the intake of students during the following years.

The above permission to increase the BDS/PG admission and to admit students will be granted for a period of one year and will be renewed on yearly basis after verification of the achievement of annual target and revalidation of the performance bank guarantees. This process of renewal of permission will continue till such time the requirements to be met in respect of buildings, infrastructural facilities, dental and allied equipment facility and staff as per Dental Council of India norms and expansion of the hospital facilities is completed and a formal permission for increasing the BDS/PG admission strength at the said Dental College is granted.

FORMAT OF APPLICATION FOR PERMISSION OF THE CENTRAL GOVERNMENT TO INCREASE

ADMISSION CAPACITY IN THE EXISTING DENTAL COLLEGE/INSTITUTIONS.

PARTICULARS OF THE APPLICANT :

(Use additional sheets of A-4 size, if the space provided in the application for is not adequate. Use separate sheet(s) a for each question. Also specify clearly in the prescribed column of the application form the number of additional sheet(s) provided for the separate question.)

NAME OF THE APPLICANT
(In Block Letters)

ADDRESS
(In Block Letters)

REGISTERED OFFICE
(No., Street, City, Pin Code,
Telephone, Telex, Telefax).

MAILING ADDRESS
(No., Street, City,Pin Code,
Telephone, Telex, Telefax).

CONSTITUTION
(University/State Govt.,/Union Territories.
Autonomous Body, Society,
Trust, Company).

REGISTRATION/INCORPORATION
(Number and Date).

Objectives :

State Govt. Union Territory
Permission Letter
(Number, Date and
Issuing Authority)

Letter of University
Affiliation
(Number, Date and Name
of University)

Bankers
(Name & Address)

(Signature)
Authorised Signatory
(Name & Designation)

Place :
Date :

LIST OF ENCLOSURES :

1. Certified Copy of Bye Laws/Memorandum and Articles of Association/Trust Deed etc.
2. Certified Copy of Certificate of Registration/Incorporation.
3. Annual Reports and Audited Balance Sheets for the last 3 years.
4. Certified Copy of the Title Deeds of the total available land as a proof of ownership.
5. Certified copy of the Zoning Plans of the available sites, indicating their land use.
6. Proof of attachment with Medical College Hospital or 100 beded General Hospital.
7. Certified Copy of the Permission by the respective State Government/Union Territory Administration.
8. Certified Copy of the Letter of Affiliation issued by a recognised University.
9. Authorisation Letter addressed to the Bankers of the applicant, authorising the Central Government/ Dental Council of India to make independent enquiries regarding the financial track record of the applicant.

APPENDIX I

DENTAL COUNCIL OF INDIA

POST TO BE SANCTIONED YEAR-WISE-BDS ADMISSION 40

Principal & Professor—1

(One post of Professor can be deleted in the undermentioned tabulation according to the subject of specialisation)
Each Dept. should be headed by a Professor

	* 1st year			II year			III year			Total posts in position from the beginning of 3rd year-onwards		
	Prof.	Reader	Lecturer	Prof.	Reader	Lecturer	Prof.	Reader	Lecturer	Prof.	Reader	Lecturer
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Prosthodopntics	-	—	1	—	—	1	—	1	—	1	1	2
Oral Pathology	—	—	1	1	—	—	—	1	—	1	1	1
Conservative Dentistry	—	—	2	1	—	1	—	1	—	1	1	3
Oral Surgery	—	-	2	—	—	—	1	1	—	1	1	2
Periodontics	—	—	2	—	—	—	1	1	—	1	1	2
Orthodontics	—	—	1	—	—	—	1	1	—	1	1	1
Pedodontics	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	1	1
Oral Medicine and Radiology	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	1	1
Community Dentistry	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1
Dental Materials	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Dental Anatomy	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
	*1	—	12	2	—	3	3	9	1	6 including Principal/ Dean	9	16

Note : *One Professor in any speciality.

In an institution where the 11 Departments as enumerated above do not exist at present, any two allied departments may be combined for teaching and administrative purposes under one Professor.

The following subjects be clubbed together under one Head forming the full blocks by the College authorities :—

Block I : Prosthetics/Dental Materials.

Block II : Conservative Dentistry/Pedodontia/Dental Materials.

Block III : Oral Pathology /Oral Medicine & Radiology.

Block IV : Oral Surgery/Dental Anatomy.

Block V : Periodontics/Community Dentistry.

Block VI : Orthodontics/Pedodontics/Dental Anatomy.

—with a note that : Not more than 2 subjects should be under one Head of the Department and not more than 2 subjects be clubbed together.

APPENDIX-2

DENTAL COUNCIL OF INDIA

POSTS TO BE SANCTIONED YEAR-WISE-BDS ADMISSION 60

Principal & Professor—1 (One Post of Professor can be deleted in the undermentioned tabulation according to the subject of specialisation)

Each dept. should be headed by a Prof.

	*1st Year			IInd Year			IIIrd Year			Total posts in position from the beginning of 3rd year onwards		
	Prof.	Reader	Lec-turer	Prof.	Reader	Lec-turer	Prof.	Reader	Lec-turer	Prof.	Reader	Lec-turer
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Prosthodontics	—	1	2	—	—	2	—	1	—	1	2	4
Oral Pathology	—	—	2	1	—	—	—	1	—	1	1	2
Conservative Dentistry	—	1	3	1	—	2	—	1	—	1	2	5
Oral Surgery	—	—	2	—	—	1	1	1	—	1	1	3
Periodontics	—	—	2	—	—	1	1	1	—	1	1	3
Orthodontics	—	—	1	—	—	1	1	1	—	1	1	2
Pedodontics	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	1	2
Oral Medicine & Radiology	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	2
Community Dentistry	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	1	2
Dental Materials	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Dental Anatomy	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
Total	*1	2	15	2	—	11	3	9	1	6 including Principal & Dean	11	27

Note : * One Professor in any speciality.

In an institution where the 11 Departments as enumerated above do not exist at present, any two allied departments may be combined for teaching and administrative purposes under one Professor.

The following subjects be clubbed together under one Head forming the full blocks by the College authorities: —

Block I : Prosthetics/Dental Materials.

Block II : Conservative Dentistry/Pedodontia/Dental Materials.

Block III : Oral Patholoogy/Oral Medicine & Radiology.

Block IV : Oral Surgery/Dental Anatomy.

Block V : Periodontice/Community Dentistry.

Block VI : Orthodontics/Pedodontics/Dental Anatomy.

—with a note that : Not more than 2 subjects should be under one Head of the Department and not more than 2 subjects be clubbed together.

APPENDIX-III

DENTAL COUNCIL OF INDIA

POSTS TO BE SANCTIONED YEAR-WISE—BDS ADMISSION 100

Principal & Professer—1 (One post of Professor can be deleted in the undermentioned tabulation according to the subject of specialisation).

Each Dept. should be headed by a Professor.

	*1st year			IInd Year			3rd Year			Total posts in position from the beginning of 3rd year onwards		
	Prof.	Reader	Lecturer	Prof.	Reader	Lecturer	Prof.	Reader	Lecturer	Prof.	Reader	Lecturer
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Prosthodontics	—	1	4	—	1	3	—	1	—	1	3	7
Oral Pathology	—	—	2	1	—	—	—	1	—	1	1	2
Conservative Dentistry	—	1	5	1	—	3	—	1	—	1	2	8
Oral Surgery	—	—	2	—	—	2	1	2	—	1	2	4
Periodontics	—	—	2	—	—	2	1	1	—	1	1	4
Orthodontics	—	—	1	—	—	2	1	1	—	1	1	3
Pedodontics	—	—	1	—	—	2	—	1		—	1	3
Oral Medicine and Radiology	—	—	1	—	—	2	—	1	—	—	1	3
Community Dentistry	—	—	—	—	—	2	—	1	1	—	1	3
Dental Materials	—	—	1									1
Dental Anatomy	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
Total	*1	2	19	2	1	19	3	10	1	6 including 'Principal' & Dean	13	39

Note :—*One Professor in any speciality.

In an institution where the 11 Departments as enumerated above do not exist at present, any two allied departments may be combined for teaching and administrative purposes under one Professor.

The following subjects be clubbed together under one Head forming the full blocks by the College authorities :

Block I	:	Prosthetics/Dental Materials.
Block II	:	Conservative Dentistry/Pedodontia/Dental Materials.
Block III	:	Oral Pathology/Oral Medicine & Radiology.
Block IV	:	Oral Surgery/Dental Anatomy.
Block V	:	Periodontics /Community Dentistry.
Block VI	:	Orthodontics/Pedodontics/Dental Anatomy.
– with a note that	:	Not more than 2 subjects should be under one Head of the Department and not more than 2 subjects be clubbed together.

A.L. MIGLANI, Ag. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi 110054. 1993